भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 50
19.07.2021 को उत्तर के लिए

भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

50. श्री संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट की जानकारी है जो दावा करती है कि भारत वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष के दस सबसे प्रभावित देशों में से एक है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि भारत अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भन है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से गम्भीर रूप से प्रभावित हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अपने लोगों को बचाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा दुनियां भर में जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहुओं पर कई रिपोर्टें प्रकाशित की जाती है ऐसी ही एक रिपोर्ट जर्मनी में स्थिति एक गैर-सरकारी संगठन, जर्मनवाच द्वारा 'वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021' है।

(ख) और (ग) : 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल कार्यबल का 54.6 प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) की परियोजना के तहत जलवायु परिवर्तन प्रभाव विश्लेषण और कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया है। चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, चना और आलू जैसी कुछ फसलों के उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के परिवर्तनशील प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचारों के तहत गर्मी और सूखा सहिष्णु गेहूं, बाढ़ सहिष्णु चावल, सूखा सहिष्णु दलहन, जलभराव और उच्च तापमान सहिष्णु टमाटर आदि विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत संवहनीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है जिसमें संसाधन संरक्षण, मिट्टी की उर्वरकता की बहाली और एकीकृत खेती पर केन्द्रित उत्पादकता, जल उपयोग दक्षता और विशेषरूप से बारानी कृषि क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के उद्देश्य शामिल है और उपशमन के सह-लाभों के लिए योगदान प्रदान करता है। 33 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजना तैयार की है, जो क्षेत्र विशिष्ट और पार-क्षेत्रीय प्राथमिकता वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है।

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई की समस्या है और इसके लिए 'समानता' के सिद्धान्त और 'सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं' के अनुसार सभी राष्ट्रों के सहयोग की आवश्यकता है। भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), इसके क्योटो प्राटोकॉल (केपी) और पेरिस समझौते (पीए) का एक पक्ष है।

भारत ने 2015 में यूएनएफसीसीसी को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2005 से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना; प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) सहित कम लागत वाले अन्तर्राष्ट्रीय वित्त की मदद से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करना; और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना शामिल है। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के व्यापक ढांचे के तहत जलवायु संबंधी कार्यों को किया जा रहा है। इसमें आठ मिशन शामिल हैं: सौर ऊर्जा के विशिष्ट क्षेत्र, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, संवहनीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, हरित भारत, संवहनीय कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान।

*****